न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
प्रकाश कुमार पुत्र हेमाराम जाति मीना निवासी केसरपुरा तह. शिवगंज	**बनाम**	राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र सं0 52/2024
दिनांक 06.11.2024

—::आदेश::—

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा फाचरिया पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नं0 10/117 रकबा 0.2104 हैक्टयर व खसरा नं0 359/327 रकबा 0.6475 हेक्टयर कुल रकबा 0.8579 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी वाली उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 10/117 की कृषि भूमि के उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थी की बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नं0 10/118 एवं खसरा नं0 10/122 स्थित है तथा अप्रार्थी की उक्त भूमि के आगे शिवगंज से काम्बेश्वरजी जाने वाला पक्का आम रास्ता स्थित है लेकिन प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिये तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी की उक्त राजस्व आराजी के आगे अप्रार्थी की बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नं0 10/118 व 10/122 सरकारी कृषि भूमि से लगता पूर्व दिशा में शिवगंज से काम्बेश्वरजी जाने वाला पक्का रास्ता है। उक्त उत्तर पूर्व में स्थित रास्ते से प्रार्थी के खसरा नं0 10/117, 357/327 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नं0 10/118 एवं 10/122 सरकारी भूमि के बीच(मध्य) से होता हुआ पूर्व से पश्चिम के कच्चा रास्ता करीब 30 फिट चौडा रास्ता कदिमी से बना हुआ है। जिसे संलग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शित किया गया है। प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा 30 फिट चौडे रास्ते की मांग की गई है। उक्त स्थान पर प्रार्थी का खेत लघुतम दुरी पर स्थित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 513 दिनाक 2.09.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 11.09.2024 को स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने रास्ते के प्रस्ताव नक्शा व मौका फर्द अनुसार स्वीकार किया जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके पत्र क्रमांक 636 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' अंकित किया है कि रिपोर्ट इस आशय से प्राप्त हुई कि प्रार्थी की खसरे में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित मार्ग ग्राम फाचरिया के खसरा नं0 10/122 व 10/118 में से दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौडा एवं 24 मीटर लम्बा है। जिसका क्षैत्रफल 219.60 वर्गमीटर बनता है। अतः प्रार्थी को तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिये गये प्रस्तावित रास्ते 'ए' से 'बी' ही मार्ग दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता के बीच कोई संरचना निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 144207 रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसके [illegible] प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' कुल क्षेत्रफल 219.60 वर्ग मीटर की कीमत रूपये 3167 [illegible] होती है। जिसकी दुगनी कीमत 6334/—रूपये होती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास [illegible] खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं [illegible] जिससे प्रार्थना पत्र में [illegible] तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:50 IST
Reason: SelfAttested

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 52/2024
प्रकाश कुमार बनाम राज0 सरकार
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा फाचरिया तहसील शिवगंज के खसरा नं0 10/117 रकबा 0.2104 हैक्टयर व खसरा नं0 359/327 रकबा 0.6475 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा फाचरिया के खसरा नं0 10/122 रकबा 0.3237 हैक्टयर एवं 10/118 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु 9.15 मीटर चौडा एवं 24 मीटर लम्बाई कुल स्वीकृत रास्ता 219.6 वर्गमीटर भूमि की राशि 3167/–रूपये होता है जिसकी **दुगनी राशि 6334/– (छः हजार तीन सौ चौंतीस) रूपये** का भुगतान प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही सरकारी बिलानाम भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 06.11.2024

कमांक/कोर्ट/2024/565
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
शिवगंज (राजस्थान)

सहायक कलक्टर,
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:50 IST
Reason: SelfAttested